नरेन्द्र प्रताप नारायण सिंह और ए.एन.आर.

बनाम

उत्तरप्रदेश राज्य

अप्रैल 3, 1991

(एस. रत्नवेल पांडियान और के. जयचन्द्र रेड्डी, जे.जे.)

भारत का संविधान, 1950 अनुच्छेद 136- तथ्यों के संबंध में समवर्ती निष्कर्ष-केवल असाधारण परिस्थितियों में हस्तक्षेप- अत्यधिक त्रुटियां और प्रकट दुर्बलताओं में हस्तक्षेप उचित।

भारतीय दण्ड संहिता 1860 धारा 405, 409, 467 और 471-आपराधिक न्यासभंग और दुर्विनियोग-राजकीय बीज भंडार-ग्रामीण लेवल के वर्कर्स को उधारी बिक्री की स्थापित प्रथा-उक्त बिक्री को निषेध करने हेतु राजकीय परिपत्र-समय समय पर जारी किए गए-यद्यपि प्रक्रिया जारी रही-प्रभारी व्यक्ति द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन किया गया-क्या कोई अपराध किया गया है और दण्ड के लिए भागी है।

1964-65 के दौरान प्रथम अपीलकर्ता एक खंड विकास कार्यालय से जुड़े हुए बीज भंडार का प्रभारी था। बीज स्टोर किसानों की जरूरतों को पूरा कर रहा था

पहले अपीलकर्ता पर न्यासभंग के उल्लंघन के तहत भारतीय दण्ड संहिता की धारा 409 के तहत दंडनीय अपराध का आरोप लगाया गया था, आरोप यह था कि उक्त प्रभारी व्यक्ति ने उधारी बिक्री को निषेध करने वाले राजकीय निर्देशों की उपेक्षा कर 1591.04 रूपये के फर्जी बिल तैयार इस प्रकार किए कि कुछ ग्राम स्तरीय कार्यकर्ताओं को कुछ वस्तुओं की उधारी पर आपूर्ति कर दी गई।

बाद में, दूसरे अपीलकर्ता ने प्रथम अपीलकर्ता को कार्यमुक्त कर बीज भंडार का कार्यभार संभाला उन पर भी कुछ वस्तुओं और राशि 450.28 रूपये के दुर्विनियोग के लिए भारतीय दण्ड संहिता की धारा 409 के तहत न्यासभंग के उल्लंघन के अपराध का आरोप लगाया गया।

इसके अलावा दोनों अपीलकर्ताओं पर भारतीय दण्ड संहिता की धारा 409 के साथ साथ भारतीय दण्ड संहिता की धारा 467 और 471 के तहत भी आरोप लगाया गया।

विचारण न्यायालय के समक्ष प्रथम अपीलकर्ता ने तर्क दिया कि उसके बिल असली थे और वास्तव में ग्रामीण स्तर के श्रमिकों को ऋण पर आपूर्ति की गई थी। उसके द्वारा गबन और अभिलेखों में फर्जी प्रविष्टियों के आरोपों से इनकार किया गया दूसरे अपीलकर्ता ने न्यासभंग के आरोपों से प्रतिवाद किया और कहा कि उसने प्रश्लगत बिल के संबंध में आंशिक भुगतान प्राप्त कर सरकारी कोषागार में जमा करा दिया।

विचारण न्यायालय ने दोनों अपीलकर्ताओं को दोषी ठहराते हुए उन्हें भारतीय दण्ड संहिता की धारा 467 और 471 के तहत विभिन्न प्रकार के कारावास व भारतीय दण्ड संहिता की धारा 409 के तहत अपराध के लिए 500 रूपये के जुर्माने का दण्डादेश दिया।

अपील पर, उच्च न्यायालय ने अपीलकर्ताओं के भारतीय दण्ड संहिता की धारा 467 और 471 के तहत की दोषसिद्धि को रद्द कर दिया और भारतीय दण्ड संहिता की धारा 409 के तहत दोषसिद्धि को बरकारर रखते हुए जुर्माने की राशि को घटाकर 250 रूपये कर दिया। प्रतिवादी राज्य ने कोई अपील प्रस्तुत नहीं की।

वर्तमान अपीलों में, अपीलकर्ताओं ने भारतीय दण्ड संहिता की धारा 409 के तहत उनकी सजा की वैधता को चुनौती दी है।

पहले अपीलकर्ता ने तर्क दिया कि लंबे समय से स्थापित प्रथा के अनुसार ऋण बिक्री की प्रथा 1969-70 तक जारी रही 1965 में इस प्रथा को रोकने के लिए सरकारी परिपत्र जारी किये गये क्रेडिट बिक्री करने में कोई गलती नहीं थी। यह भी दलील दी कि माल का दुरूपयोग करने का उनका कोई आशय नहीं था दूसरे अपीलकर्ता ने प्रतिवाद किया कि उसने केवल रसीदें जारी की और पैसे वसूल किए। किसी षड्यंत्र के सिद्ध होने के अभाव में वह किसी भी राशि के दुरूपयोग का दोषी नहीं है।

इस न्यायालय द्वारा अपीलों को स्वीकार किया गया,

अभीनिर्धारितः 1. 26.07.68 को जारी अंतिम परिपत्र के लागू होने से पूर्व राजकीय कृषि बीज भंडारों से लंबे समय तक उर्वरक, कीटनाशक आदि की ऋण बिक्री की प्रक्रिया स्थापित थी। लगातार परिपत्र जारी होने के बावजूद यह संकेत मिलता है कि इन परिपत्रों के विपरीत, ऋण बिक्री की प्रथा अत्यधिक प्रचलित थी। साक्ष्यों और अभिलेखों की सूक्ष्म जांच से पता चलता है कि इन परिपत्रों के होने के बावजूद भी वरिष्ठ अधिकारियों ने कृषकों को ऋण विक्रय पर गंभीरतापूर्वक कोई कार्रवाई नहीं की। वास्तव में, दिनांक 2.8.67 के परिपत्र द्वारा, कृषि निदेशक द्वारा ऋण विक्रय की प्रक्रिया पर रोक लगाते हुए, केवल एक चेतावनी दी गई कि गलती करने वाले अधिकारी व्यक्तिगत रूप से बकाया राशि हेत् दायी रहेंगे। बकाया राशि के भ्गतान करने के लिए जिम्मेदार अपीलकर्ताओं को ग्राम स्तरीय कार्यकर्ताओं के माध्यम से ऋण बिक्री की स्थापित प्रक्रिया का पालन करने के लिए न्यासभंग के उल्लंघन की आपराधिकता के साथ जोड़ा नहीं जा सकता।

2. चूंकि उच्च न्यायालय ने अपीलकर्ताओं की भारतीय दण्ड संहिता की धारा 467 और 471 के तहत दोषसिद्धि को रद्द कर दिया है इसलिए बिलों और रसीदों की कूटरचना और उनके उपयोग करने का अभियोजन का मामला सही नहीं है। यह तथ्य कि अपीलकर्ताओं का बचाव कि बिल और नकद रसीदें फर्जी नहीं थे बल्कि असली थे, जिसे उच्च न्यायालय ने

स्वीकार कर लिया के विरूद्ध आवश्यक कोई अपील राज्य ने दायर नहीं की है। इस प्रकार अभियोजन पक्ष विवाद की राशि का अस्थायी दुरूपयोग को भी संतोषजनक ढंग से साबित नहीं कर पाया है।

- 3. यह स्वीकृत है कि प्रथम अपीलकर्ता दूसरे अपीलकर्ता को 2.9.65 को चार्ज सौंपने से पूर्व दोनों बीज भण्डारों का प्रभारी था। प्रथम अपीलकर्ता ने 3.9.65 को अपनी अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत की। इसलिए दूसरा अपीलकर्ता जिसने 2.9.65 तक बीज भंडार का कार्यभार ग्रहण नहीं किया था को 29.7.65 से 12.8.65 के बीच के तैयार विवादित बिलों की राशि के लिए भारतीय दण्ड संहिता की धारा 409 के तहत उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता। विचारण न्यायालय का यह निष्कर्ष कि दोनों अपीलकर्ताओं ने झूठे बिल तैयार कर न्यासभंग किया है खारिज किया जाता है और इस निष्कर्ष पर आधारित सभी परिणामी निष्कर्ष रद्द करने के लिए दायी है।
- 4. दोनों अपीलकर्ताओं पर संयुक्त रूप से आरोप नहीं लगाया जा सकता कि उन्होंने दिनांक 4.7.64 को बीज भंडार का लोकसेवक होते हुए न्यासभंग किया। यह स्वीकृत है कि उस समय वे अलग अलग जगहों पर काम कर रहे थे। अभियोजन पक्ष संतोषजनक ढंग से मूल तथ्य 'बेईमानीपूर्वक' को दोनों में से किसी भी अपीलकर्ता के विरूद्ध स्थापित नहीं कर पाया है। अत्यधिक खराब स्थिति मंे यह कहा जा सकता है कि पहला अपीलकर्ता बकाया राशि को एकत्र करने के लिए उठाये जाने वाले

कदम की अपने कर्तव्य के प्रति उपेक्षा के लिए दोषी था और उच्च न्यायालय द्वारा भारतीय दण्ड संहिता की धारा 467 के तहत विचारण न्यायालय की दोषसिद्धि को रद्द कर दिया गया है जिसके विरूद्ध राज्य द्वारा कोई अपील प्रिफर नहीं की गई है। दूसरा अपीलकर्ता को उक्त प्रश्नगत नकद रसीदों के आपरिधक दुर्विनियोग के लिए किसी भी प्रकार से फांसा नहीं जा सकता। साक्ष्य और दस्तावेजों के सूक्ष्म परीक्षण से दोनों अपीलकर्ताओं के संयुक्त रूप से भारतीय दण्ड संहिता की धारा 409 के तहत दंडनीय अपराध के लिए एक साथ फांसने के लिए कोई भी उपयुक्त तथ्य/सामग्री नहीं है। दोनों अपीलकर्ताओं के बीच, किए गए अपराध, लगाए गए अपराध के संबंध में षड्यंत्र, मस्तिष्कों का पूर्व मिलन और मस्तिष्कों का मिलन या पूर्व नियोजित योजना का भी कोई साक्ष्य नहीं है।

5. हालांकि यह न्यायालय असाधारण परिस्थितियों को छोड़कर तथ्यों के समवर्ती निष्कर्ष में सामान्यतः हस्तक्षेप नहीं करता है चूंकि दोनों न्यायालय ने मामले को गवाह के साक्ष्य के गुण-दोष के विपरीत मामले का संक्षेप में निपटारा कर समय से पहले समाप्त करने से इनमें स्पष्ट त्रुटियां और स्पष्ट कमजोरियां दिखाई दे रही है इसलिए हस्तक्षेप करने के लिए उपयुक्त मामला है।

(अपीलकर्ताओं के बकाया वेतन का दावा नहीं करने की अंडरटेकिंग को ध्यान में रखते हुए, न्यायालय ने कहा कि मामले में अपीलकर्ताओं को उनके बरी होने बाद राज्य सरकार द्वारा बहाल कर दिया गया है वें निलंबन की तिथि से बहाली की तारीख तक बकाया वेतन के लिए दावा नहीं करेंगे।)

आपराधिक अपीलीय क्षेत्राधिकारः आपराधिक अपील संख्या 664/1979 और 665/1979

इलाहाबाद उच्च न्यायालय के निर्णय और आदेश दिनांक 8.5.1979 की आपराधिक अपील संख्या 158 और 157 सन् 1977

अपीलकर्ताओं की ओर से आर.के. गर्ग और एम.एम. क्षत्रिय। प्रतिवादी की ओर से दलवीर भंडारी।

त्यायालय का निर्णय एस रत्नवेल पांडियान, जे. द्वारा सुनाया गया। ये दो आपराधिक अपीलें अपीलकर्ताओं, अर्थात् नरेन्द्र प्रताप नारायण सिंह और पूरन सिंह द्वारा दायर की गई हैं, जिन्हें विचारण न्यायालय के समक्ष आरोपी नंबर 1 और 2 के रूप में पेश किया गया था। 1974 के सत्र न्यायालय के विचारण संख्या ए-210 और 228 से उत्पन्न अपील आपराधिक अपील संख्या 158 और 157 सन् 1977 में इलाहाबाद उच्च न्यायालय, लखनऊ की पीठ द्वारा दिनांक 8.5.1979 को दिए गए निर्णय और आदेश द्वारा जिसके तहत उच्च न्यायालय ने एक सामान्य आदेश द्वारा भारतीय दण्ड संहिता की धारा 467 और 471 के तहत दोषसिद्धि और सजा को रद्द कर दिया, लेकिन, हालांकि भारतीय दण्ड संहिता की धारा 409 के

तहत उनकी दोषसिद्धि को बरकरार रखा और कारावास की मूल सजा को पहले की भुगती हुई अवधि तक कम कर दिया और जुर्माने की सजा को 500 रूपये से घटाकर 250 रूपये कर दिया और उसमें कोताही होने पर प्रत्येक मामले में छह महीने के लिए कठोर कारावास की सजा भुगतनी होगी।

मुख्य तथ्य जो अभिलेखों से सामने आए इस प्रकार है:

सुल्तानपुर जिले में एक खंड विकास कार्यालय था जिसे धनपतगंज ब्लाॅक के नाम से जाना जाता था, जिसमें सेमरौना बीज भंडार के नाम से जाना जाने वाला एक बीज भंडार जुड़ा हुआ था। बीज भंडार किसानों की बीज और उर्वरक आदि की जरूरतों को पूरा करने के लिए था। 1964-65 के दौरान, पहला अपीलकर्ता उस बीज भंडार का प्रभारी था। 2.9.65 को दूसरे अपीलकर्ता द्वारा उन्हें कूरेभार से स्थानान्तरण होने पर कार्यमुक्त कर दिया गया।

अभियोजन पक्ष के अनुसार, पहले अपीलकर्ता को उसकी अधिकारिक क्षमता में उर्वरक, कीटनाशक, बीज आदि सौंपा गया था, जो सेमरौना क्षेत्र के किसानों की जरूरतों को पूरा करने के लिए था। 1965 में ग्राम स्तर के अनेक कार्यकर्ता थे। ऐसा कहा जाता है कि 29.7.65 को, पहले अपीलकर्ता ने कुछ ग्राम स्तर के श्रमिकों (बाद में वीएलडब्ल्यू के रूप में संदर्भित) के नाम पर जाली बिल तैयार किए, जिसमें पुस्तक संख्या 7767 के बिल

संख्या 57, 59, 60, 61, 62 और 6 थे। जैसे कि वीएलडब्ल्यू को कृषि विभाग की वस्तुएं क्रेरिडट पर प्रदान की गई थी, जिनकी कुल राशि 1591.04 रूपये थी और इस तरह उन्होंने न्यास का उल्लंघन किया, जो भारतीय दण्ड संहिता की धारा 409 के तहत दंडनीय है। दूसरे अपीलकर्ता के खिलाफ अभियोग यह है कि उसने उक्त कृषि विभाग का एक लोक सेवक होने के नाते पुस्तक संख्या के बिल संख्या 11, 17 और 18 में पुस्तक संख्या 7767 में उल्लेखित लेखों के प्रति न्यास का उल्लंघन किया है और 450.26 रूपये की राशि का दुरूपयोग किया। उनमें से प्रत्येक के खिलाफ लगाए गए उपरोक्त आरोपों के अलावा, उन पर भारतीय दण्ड संहिता की धारा 467 और 471 के तहत दंडनीय अपराधों के लिए व्यक्तिगत और साम्हिक रूप से आरोप लगाए गए थे।

पहले अपीलकर्ता का बचाव यह था कि वे सभी बिल काल्पिनक और फर्जी नहीं थे बिल वास्तिविक थे और सामग्री वीएलडब्ल्यू को आपूर्ति की गई थी जैसा कि संबंधित बिलों में दर्शाया गया है। उन्होंने गबन और अभिलेखों में फर्जी प्रविष्टियां करने के आरोप से इनकार किया। उन्होंने आगे कहा कि स्थानान्तरण पर, उन्होंने कूरेभार में दूसरे अपीलकर्ता को कार्यमुक्त कर दिया, लेकिन दूसरे अपीलकर्ता द्वारा सेमरौना क्षेत्र का कार्यभार संभालने तक सेमरौन और कूरेभार दोनों का एक साथ दोहरा प्रभार संभाल रहे थे और लंबे समय से स्थापित प्रक्रिया तथा वरिष्ठों के आदेशों के

अध्यधीन वह गांव के श्रमिकों को उर्वरक, बीज आदि की आपूर्ति ऋण बिक्री के आधार पर करते थे। दूसरे अपीलकर्ता का बचाव यह था कि उसने बिल संख्या 11 से संबंधित आंशिक भुगतान प्राप्त किया और उक्त राशि सरकारी खजाने में जमा कर दी और उसने किसी भी राशि का दुरूपयोग नहीं किया। विचारण न्यायालय ने, उनके बचाव को खारिज करते हुए, दोनों अपीलकर्ताओं को सभी आरोपों के तहत दोषी ठहराया और उन्हें कारावास की विभिन्न शर्तों की सजा सुनाई, इस निर्देश के साथ कि सभी मूल सजाएं एक साथ चलंेगी। भारतीय दण्ड संहिता की धारा 409 के तहत दोषी पाए जाने पर कारावास की सजा के अलावा 500 रूपये का जुर्माना भी लगाया गया।

चूंकि उच्च न्यायालय ने अब भारतीय दण्ड संहिता की धारा 467 और 471 के तहत अपीलकर्ताओं की सजा को रद्द कर दिया है और राज्य ने उसे बरी किए जाने के खिलाफ कोई अपील नहीं की है। इसलिए हम उन दो आरोपों से संबंधित मामलों की सुनवाई नहीं करेंगे, इसलिए, यह अपील केवल भारतीय दण्ड संहिता की धारा 409 के तहत इन दो अपीलकर्ताओं की सजा की वैधता के संबंध तक ही सीमित है।

उच्च न्यायालय के विद्वान न्यायाधीश ने भारतीय दण्ड संहिता की धारा 409 के तहत अपीलकर्ताओं की सजा की पुष्टि करते हुए अपीलों का बहुत ही संक्षिप्त तरीके से निपटारा इस प्रकार किया है:

".....मुझे रिकाॅर्ड पर मौजूद साक्ष्यों से अवगत कराया गया है। अभियोजन पक्ष द्वारा संबंधित सभी ग्राम स्तर के श्रमिकों की जांच की गई और उनके बयानों से पता चला कि अपीलकर्ताओं द्वारा उनसे आपराधिक न्यास भंग की राशि को उनसे गलत तरीके से वसूल की गई थी, लेकिन उन्हें कोई उर्वरक जारी नहीं किया गया था। इन गवाहों के बयानों में कोई गलती/इनफर्मिटी नहीं थी। उनके बयान संतोषजनक ढंग से दोनों मामलों में दो अपीलकर्ताओं के खिलाफ भारतीय दण्ड संहिता की धारा 409 के तहत अपराध बनाते है। इसलिए, मेरी राय है कि विचारण न्यायालय द्वारा दोनों अपीलकर्ताओं को भारतीय दण्ड संहिता की धारा 409 के तहत सजा का आदेश दिया गया है वह न्यायोचित है।"

इन दो अपीलों के माध्यम से अपीलकर्ता अपनी दोषसिद्धि की सत्यता को चुनौती देते हैं। अपीलकर्ताओं की ओर से पेश विद्वान विषष्ठ विकील श्री आर.के. गर्ग ने तर्क दिया कि यद्यपि सरकार की ओर से बीज भंडारों को ऋण बिक्री को रोक दिया गया था तथापि लंबे समय तक यह

प्रक्रिया जारी रही और वास्तविक रूप से सरकार को भी इस स्थिति का पता था इसीलिए यही कारण था कि अत्यधिक देरी से दिनांक 2.8.67 से, सरकार बार-बार परिपत्र जारी कर संबंधित कर्मचारियों का ध्यान उधार बिक्री की प्रथा को रोकने के लिए आकर्षित कर रही थी और चेतावनी दे रही थी कि कोई भी अधिकारी या कर्मचारी ऋण बिक्री जारी करेगा वो बकाया राशि का भ्गतान करने के लिए जिम्मेदार ठहराया जाएगा और इसलिए, ऐसी परिस्थितियों में किसी भी रूप में न्यासभंग का कोई मामला नहीं हो सकता है क्योंकि श्रूआत से ही, पहला अपीलकर्ता यह कह रहा था कि ऋण बिक्री की गई थी। विद्वान वकील के अनुसार, कृषि विभाग के इन सामानों का न्यासभंग करने का कोई मकसद नहीं हो सकता है, जब ऐसे सामान खुले बाजार में सस्ती दरों पर उपलब्ध थे और जब पहले अपीलकर्ता के पास जिला सुल्तानपुर में कोई जमीन नहीं थी। आगे आग्रह किया गया है कि अभियोजन पक्ष के गवाहों के साक्ष्य से यह पूरी तरह से साबित हो गया है कि उधार बिक्री 1969-70 तक जारी रही थी और ग्राम स्तर के कार्यकर्ता रसीद देकर बीज भंडारों से उधार पर सामान लेते थे और वितरित करते थे। किसानों को उनकी जरूरतों और जरूरतों के अनुसार वस्त्एं दी जाती थी और पैसा बाद में वसूल किया जाना था।

ऐसा कहा जाता है कि प्रथम अपीलकर्ता द्वारा कार्यभार सौंप दिया गया था किन्तु यह 2.9.65 के पहले नहीं हुआ था क्योंकि उसे सेमरौना में कार्यमुक्त किए बिना क्रेभार में कार्यभार ग्रहण करने के लिए कहा गया था और इसलिए उन्हें 18.6.65 से 2.9.65 तक उसे दोनों बीज भंडारों पर काम करना पड़ा।

दूसरे अपीलकर्ता के मामले में, विद्वान वकील ने तर्क दिया कि दूसरे अपीलकर्ता ने केवल रसीदें जारी की और धन की वसूली की और इसलिए किसी भी साजिश के साबित होने के अभाव में, वह धन के किसी भी दुरूपयोग का दोषी नहीं हो सकता।

अंत में, यह प्रस्तुत किया गया है कि सबसे खराब स्थिति में, पहला अपीलकर्ता यदि दोषी पाया जाता है तो वह सरकारी निर्देशों के उल्लंघन का दोषी होगा, जिसका उल्लंघन किसी भी तरह से उसे आपराधिक दायित्व के साथ बाध्य नहीं करेगा और उच्च न्यायालय ने उचित परिपे्रक्ष्य में साक्ष्यों पर चर्चा किए बिना दोनों अपीलों का निपटान केवल अटकलों, अनुमानों और सरमाईसिस पर किया है और इस प्रकार यह निर्णय रद्द किये जाने योग्य है।

यह तथ्य कि सरकारी कृषि बीज भंडारों से बीज, उर्वरक, कीटनाशक आदि की उधार बिक्री की प्रथा थी, विवाद में नहीं है। जबिक यह प्रथा थी, निदेशक, कृषि, उत्तरप्रदेश, लखनउ द्वारा कृषि विभाग के सभी आहरण एवं संवितरण अधिकारियों को एक परिपत्र संख्या आईए-4390/बकाया-129 दिनांक 2.8.67 जारी किया गया था, जिसकी प्रतियां सभी जोनल डिप्टी

को पृष्ठांकित की गई थी। कृषि निदेशक, परियोजना अधिकारी, अलीगढ़, कृषि और बागवानी के कार्यात्मक उप निदेशक, विकास अधिकारी, लखनउ और कृषि निदेशालय, यूपी के सभी अनुभागों को इस पत्र की प्रति भेजी गई जो पत्र इस प्रकार हैं:

''वर्तमान' बकाया की वसूली की प्रति रिपोर्ट से यह देखा गया है कि बीज भंडार का बकाया साल-दर-साल बढता जा रहा है, इसका मतलब यह है कि 95-पूंजीगत परिव्यय से खरीदी गई वस्तुएं अभी भी बेची जाती है और क्रेडिट की जाती है अन्यथा बकाया देना चाहिए इस कार्यालय के आईए-7250/बकाया-129 परिपत्र कमांक दिनांक 21.10.1964 एवं परिपत्र क्रमांक आईए-4934/बकाया दिनांक 29.7.1965 में यह स्पष्ट कर दिया गया था कि उधार विक्रय की प्रथा बंद की जाए तथा बीज भंडारों पर आपके जाने पर इस प्रथा पर रोक लगाई जाएं एवं आपको यह देखना चाहिए कि कोई ऋण बिक्री नहीं हुई है और ऐसी बिक्री के लिए जिम्मेदार अधिकारी और अधिकारी के खिलाफ उचित कार्रवाई करनी चाहिए। ऐसा प्रतीत होता है कि इन निर्देशों का सख्ती से पालन नहीं किया गया है।

सरकार ने इस प्रथा को रोकने के आदेश के बावजूद उधार बिक्री की प्रथा पर गंभीर आपत्ति जताई है।

इसलिए, यह फिर से इस बात पर जोर दिया जाता है कि सरकारी कृषि बीज भंडारों से वस्तुओं की ऋण बिक्री सख्ती से प्रतिबंधित की जाती है और ऋण बिक्री पर हस्ताक्षरश्दा किसी भी अधिकारी या कर्मचारी को बकाया राशि का भ्गतान करने के लिए व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार ठहराया जाएगा। कार्यभार सौंपते समय बीज भंडार प्रभारी द्वारा की गई सभी उधार बिक्री को कमी मानकर उससे वसूली की जानी चाहिए और उन पर्यवेक्षण अधिकारियों और अधिकारियों के खिलाफ भी मौद्रिक जिम्मेदारी के आंकलन सहित उचित कार्रवाई की जानी चाहिए. जो बीज भंडारों में अपने दौरे के दौरान पाई गई उधार बिक्री की रिपोर्ट उच्च अधिकारियों को नहीं देते हैं या जो उन लोगों से राशि वसूलने में विफल रहते हैं, जिन्होंने स्वयं उधार पर वस्तुएं बेची। क्रेडिट बिक्री की एक सूची, यदि कोई हो, अनिवार्य रूप से चार्ज प्रमाण-पत्रों के साथ संलग्न की जानी चाहिए.

जिसे जांच, रिकार्ड और कार्रवाई करने के लिए उच्च अधिकारी को भेजा जाएगा। एक बार फिर इस बात पर जोर दिया जा सकता है कि सरकारी आदेशों की अवहेलना करते हुए क्रेडिट बिक्री की अनुमित देने या उसकी अनदेखी करने वालों के खिलाफ गंभीर कार्रवाई की जाएगी।

जिला कृषि अधिकारी कार्यालय फैजाबाद क्रमांक 1478/....हर्टी. जनरल 67-68 दिनांक 29 सितम्बर 1967"

कृपया उपरोक्त परिपत्र को इस टिप्पणी के साथ सभी खंड विकास अधिकारी तथा बीज भंडार प्रभारी फैजाबाद को अगे्रिषत किया जाए कि परिपत्र में वर्णित सभी कंटेट/सामग्री का सख्ती से पालन के लिए आपके अधीन काम करने वाले आपके ब्लाॅक के सभी फील्ड स्टाफ के ध्यान में लाया जाए। बागवानी वस्तुओं पौधे, बीज आदि की बिक्री और आपूर्ति के संबंध में इन निर्देशों का हर तरह से पालन किया जाना चाहिए और आदेशों को सभी संबंधितों द्वारा ध्यान में रखा जाना चाहिए।

इसके बाद, कृषि निदेशालय, यूपी ने 26 जुलाई 1968 को एक और परिपत्र संख्या आईए 762/बकाया-129(पप) जारी किया, जिसमें बताया गया कि विभिन्न परिपत्रों के तहत जारी किए गए आदेश परिपत्र कमांक आईए-7259/बकाया-129 दिनांक 21.10.1964 एवं परिपत्र क्रमांक आईए-4934/बकाया दिनांक 29.7.1965 और आईए-43900/बकाया-120 दिनांक 2.8.1967 का सावधानीपूर्वक पालन किया जाना चाहिए, जो 1968 का परिपत्र इस प्रकार है:

"3. इस बात पर फिर से जोर दिया गया है कि सभी कृषि संस्थानों से वस्तुओं की उधार बिक्री यदि सख्ती से प्रतिबंधित है। यदि कृषि बीज भंडार/बागवानी संस्थानों से कोई उधार बिक्री की जाती है, तो यह बहुत गंभीर अनियमितता है जिसके लिए त्वरित और गंभीर कार्रवाई की आवश्यकता है। चूंकि आदेशों के बावजूद इस तरह की अनियमितताएं की जा रही है, इसलिए उन पर नजर रखना जरूरी है, ऐसी क्रेडिट बिक्री की एक त्रैमासिक सूची, जिसमें अनियमितता के लिए जिम्मेदार व्यक्ति के नाम साथ पूरा विवरण शामिल हो, आपके साथ उनके कार्यालय को अनिवार्य रूप से सजा के संबंध में आपकी टिप्पणी के साथ भेजी जानी चाहिए। यदि ऋण बिक्री की कोई वस्तु त्रैमासिक सूची से हटा दी जाती है और बाद में इसका पता चलता है तो ऐसी चूक के कारण संबंधित पर्यवेक्षी अधिकारी के चिरित्र प्रतिवेदन/गोपनीय प्रतिवेदन में एक प्रविष्टि की जाएगी। बीज भंडार

और बफर गोदाम और अन्य संस्थानों के दौरे पर सभी निरीक्षण अधिकारियों को भंडार खाता और बिल पुस्तक की जांच करनी चाहिए ताकि यह सुनिश्चित हो सकें कि कोई ऋण बिक्री नहीं की गई है और यदि ऐसी कुछ बिक्री की गई है तो ऊपर बताए अनुसार कार्रवाई करें।

- 4. कृपया यह ध्यान में रखे कि मद 95 में प्ंजीगत परिव्यय के तहत प्राप्तियां और वसूली उसके तहत किए गए व्यय के बराबर होनी चाहिए। यदि व्यय की तुलना में प्राप्तियां और वसूली कम हो जाती हैं, तो धन के भविष्य के आवंदन को तदनुसार कम कर दिया जाएगा और मद 95 के प्ंजीगत परिव्यय से धन निकालने के लिए जिम्मेदार आहरण और संवितरण अधिकारी को अनियमितता और वसूली में कमी के स्पष्टीकरण के लिए बुलाया जाएगा।
- 5. उपरोक्त निर्देशों को कड़ाई से अनुपालन के लिए एक पंजीकृत कवर के तहत सभी संबंधितों के ध्यान में लाया जाना चाहिए और जून 1968 को समाप्त तिमाही के लिए त्रैमासिक रिपोर्ट 15.8.68 तक प्रस्तुत की जानी चाहिए।

कृपया इस पत्र की प्राप्ति सूचना दें।

एसडी/-

आर.आर. अग्रवाल,

निदेशक

दोनों परिपत्रों को सरसरी तौर पढने से पता चलता है कि ऋण बिक्री की प्रथा को बंद करने के निर्देश देने वाले परिपत्रों के बावजूद, वास्तव में ऋण बिक्री की लंबे समय से स्थापित प्रथा जारी थी। परिपत्र दिनांक 2.8.67 के बाद भी, परिपत्रों का कड़ाई से पालन नहीं किया गया और इसके कारण दिनांक 26.7.68 को परिपत्र जारी करना आवश्यक हो गया। ऐसा लगता है कि ऋण बिक्री की प्रथा के कारण. बीज भंडार का बकाया साल-दर-साल बढ़ता जा रहा था और सरकार ने ऋण बिक्री जारी रखने को बहुत गंभीरता से लिया और दिनांक 27.6.68 को परिपत्र जारी किया। जैसा कि हमने बताया है, पहले अपीलकर्ता को मामला यह है कि ऋण बिक्री की पुरानी प्रथा जारी थी और उसने वास्तव में वीएलडब्ल्यू को सामान बेचा था और कोई भी बिल फर्जी नहीं था और उन्हें बेईमानी से असली के रूप में इस्तेमाल नहीं किया गया था। इसी तरह, दूसरे अपीलकर्ता ने आरोपों से इनकार किया है। अब उच्च न्यायालय ने धारा 467 और 471 भारतीय दण्ड संहिता के तहत अपीलकर्ताओं की सजा को रद्द कर दिया है और राज्य ने अपीलकर्ताओं को इन दो आरोपों से बरी करने के फैसले के इस हिस्से के खिलाफ कोई अपील नहीं की है और इसलिए, यह निष्कर्ष निकाला जाना चाहिए कि आरोप मूल्यवान प्रतिभूतियों की जालसाजी करने और उन्हें वास्तविक के रूप में उपयोग करने को सिद्ध नहीं माना जाना चाहिए।

प्रथम आपराधिक अपील संख्या 664 सन् 1979 जो कि एसटीए नंबर ए-210 सन् 1974 से उत्पन्न हुई है में आरोप यह है कि अपीलकर्ताओं ने 29 जुलाई 1965 और 12 अगस्त 1965 को या उसके पूर्व तथा उसके आसपास पुस्तक संख्या 7767 के बिल संख्या 57, 59, 60, 61, 62 और 64 में उल्लिखित लेखों के न्यासभंग का उल्लंघन किया। निम्नलिखित तालिका प्रत्येक बिल से संबंधित विशेष राशि देगी, जिसके बारे में कहा गया है कि उसका दुरूपयोग किया गया है:

दिनांक	बिलों की संख्या	राशि
29.7.65 and 12.8.65	57	138.00
п	59	318.86
п	60	495.94
п	61	357.48
п	62	155.26
п	64	125.50
		1591.04

इस प्रकार, पहले आरोप के तहत अपीलकर्ताओं द्वारा कथित रूप से कुल राशि 1591.04 रूपये का दुरूपयोग किया गया है। यह राशि प्रथम अपीलकर्ता एनपीएन सिंह द्वारा जमा की गई है। विचारण न्यायालय ने 1974 के सेशन विचारण संख्या ए-210 में अपने फैसले में पीडब्ल्यू-5 एड. डीएओ (एजी.) के साक्ष्य के आधार पर छह बिलों के लिए पहले अपीलकर्ता द्वारा जमा की गई राशि के पुनर्भुगतान के बारे में एक से अधिक स्थानों पर इंगित किया है जो इस प्रकार है:

"उन्होंने स्वीकार किया कि प्रश्नगत इन छह बिलों का पैसा 57, 59, 60, 61, 62 और 64 सीआईडी जांच शुरू होने से पहले जमा कर दिए गए हैं।"

फैसले के एक अन्य भाग में, यह इस प्रकार कहा गया है:

"इस मामले में, कोई भी बिल बकाया नहीं है क्योंकि सभी भुगतान सीआईडी द्वारा जांच से पहले किए गए थे। आरोपी एनपीएन सिंह खुद इन बिलों संख्या 57, 59 से 62 और 64 के लिए पैसे जमा करने की बात स्वीकार की थी"

जैसा कि रिकाॅर्ड से पता चला है, 1.9.65 से 29.6.66 के बीच किए गए संदिग्ध बिलों के संबंध में भुगतान इस प्रकार थे:

क्रम सं॰	बिल सं॰	राशि	दिनांक और	भुगतान राशि
1.	5 <i>7</i>	138.00	19.12.65	96.40
29.7.65/12.8.65		14.2.66	41.40	
				138.00
2.	59	318.86	19.12.65	282.06
			29.6.66	36.80
				318.86
3.	60	495.94	19.12.65	495.94
4.	61	357.48	19.12.65	185.48
			6.1.66	172.00
				357.48

5. 62 155.26 18.12.65 155.26
6. 63 125.50 1.9.65 125.50

उपरोक्त भुगतान स्पष्ट रूप से स्थापित करते हैं कि 29.6.66 तक किसी भी बिल की कोई बकाया राशि नहीं है, पीडब्ल्यू 1 से 3 (वीएलडब्ल्यू) ने सर्वसम्मित से गवाही दी है कि उन्होंने पहले अपीलकर्ता से क्रिडिट पर कुछ भी नहीं खरीदा और ये बिल भी प्राप्त नहीं किए। प्रश्न में और आगे गवाही दी है कि उन्होंने भुगतान नहीं किया जैसा कि दूसरे अपीलकर्ता द्वारा तैयार की गई नकद रसीदों में दिखाया गया है। इसके विपरीत, अपीलकर्ता का विशिष्ट मामला यह है कि कोई भी बिल या नकद रसीदें इंठी, काल्पनिक या फर्जी नहीं है और वे सभी वास्तविक बिल और रसीदें हैं।

इस संबंध में ज्ञात हो कि ब्लाॅक प्रमुख यानी पीब्डल्यू-6 ने शिकायत की थी। केए 16 दिनांक 23.3.66 ने जिला कृषि अधिकारी के विरूद्ध सतर्कता निदेशक से तत्कालीन कृषि अधिकारी, सुल्तानपुर द्वारा की गई अनियमितताओं और अवैधताओं की शिकायत की, सतर्कता अध्यक्ष ने मामले को सरकार को भेज दिया और उसके बाद सीआईडी को निर्देशित किया गया कि मामले की जांच करें, पीब्डल्यू-8 उपाधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक, सीआईडी, जो तत्कालीन निरीक्षक, सीआईडी थे, ने राज्य सरकार के आदेशों के तहत 13.7.67 को अपनी जांच शुरू की और जैसा कि पहले

दिखाया गया था, जब जांच शुरू हुई, तब तक पूरी संदिग्ध बिलों में शामिल राशि का भुगतान कर दिया गया था और कोई बकाया नहीं था। यह प्रश्न उठ सकता है कि क्या 29.6.65 से 29.6.66 को राशि चुकाए जाने तक राशि का कोई अस्थायी दुरूपयोग हुआ था और क्या प्रश्नगत बिल प्रथम अपीलकर्ता द्वारा अपने कुकर्मों से खुद को बचाने की दृष्टि से जाली बनाए गए थे।

इन बिलों को फर्जी मानने के लिए विचारण न्यायालय जिन कारकों पर आश्रित था उनमें किसी भी बिल में किसी भी वीएलडब्ल्यू के हस्ताक्षर का अभाव था। पहले अपीलकर्ता ने यह दिखाने का प्रयास किया है कि वीएलडब्ल्यू को उधार बिक्री की प्रथा प्रचलित थी और बाद में किसानों से वसूली गई राशि को समायोजित किया जाएगा। पहले आरोप के तहत अपीलकर्ताओं पर भारतीय दण्ड संहिता की धारा 409 के तहत आपराधिक न्यासभंग का अपराध दर्ज किया गया है। धारा 405 आपराधिक न्यासभंग को परिभाषित करती है। धारा 405 की आवश्यक सामग्री हैं:

- (1) अभियुक्त को संपत्ति या संपत्ति पर प्रभुत्व सौंपा जाना चाहिए:
- (2) इस प्रकार सौंपी गई संपत्ति का उस व्यक्ति को उपयोग करना चाहिए या
- (बी) उस संपत्ति का बेईमानी से उपयोग या निपटान करना या जानबूझकर किसी अन्य व्यक्ति को

- (i) कानून के किसी भी निर्देश में जिसमें इस प्रकार का प्रभार न्यस्त किया गया है
- (ii) ऐसे न्यास के निर्वहन के बारे में उसके द्वारा की गई किसी अभिव्यक्त या विविक्षित वैध संविदा का अतिक्रमण करता है या जानबूझकर किसी अन्य व्यक्ति को ऐसा करने देता है।

ओमप्रकाश गुप्ता बनाम उत्तरप्रदेश राज्य, (1957) एससीआर 423 और सी.एम. नारायण बनाम ट्रावनकोर-कोच्चीन राज्य, एआईआर 1953 एससी 479. इस पहलू पर सभी निर्णयों को हवाला हम इस निर्णय में नहीं देना चाहते हैं।

वर्तमान प्रकरण में, बीज भंडारों की संपत्ति पर अधिकार या न्यास विवादास्पद नहीं है। वास्तव में, ऐसा नहीं हो सकता था मुख्य प्रश्न इस प्रकार है, पहला, क्या प्रथम अपीलकर्ता द्वारा बेईमानीपूर्वक दुर्विनियोग किया गया और संपत्ति जो उसे न्यस्त थी उसको बेईमानीपूर्वक अपने उपयोग के लिए परिवर्तित किया गया या जिस प्रकार ऐसा न्यास निर्वहन किया जाना है, उसको विहित करने वाली विधि के किसी दिनेश का अतिक्रमण कर उस संपत्ति को व्ययन करता है। क्या द्वितीय अपीलकर्ता की कथित दुर्विनियोग में संसक्ता थी। क्या दोनों अपीलकर्ताओं ने कूटरचित झूंठे बिल और नकद रसीदें बनायी और उनका फर्जी और बेईमानीपूर्वक असली दस्तावेज बताते हुए उपयोग किया और चतुर्थ क्या अपीलकर्ताओं ने लोकसेवक की हैसियत

में बेईमानीपूर्वक दुर्विनियोग या संपत्ति को अपने उपयोग में जानबूझकर परिवर्तित किया और अपने विभाग को जानबूझकर निर्देशों का उल्लंघन करते हुए नुकसान कारित किया जिससे वे भारतीय दण्ड संहिता की धारा 409 के तहत आपराधिक न्यासभंग करने का अपराध कारित किया और दण्ड के लिए उत्तरदायी है। बेईमानीपूर्वक अभिव्यक्ति को भारतीय दण्ड संहिता की धारा 24 के तहत परिभाषित किया गया है। यहां यह सत्य है कि निदेशक, कृषि द्वारा परिपत्रों की शृंखला जारी की गई जिनमें इस प्रकार के न्यास को किस प्रकार व्ययन किया जाना है के दिशा निर्देश थे।

अंतिम रूप से अंतिम परिपत्र जो कि दिनांक 26.7.68 को जारी किया गया से पूर्व इस प्रकार के परिपत्राें में ऐसा कुछ भी नहीं था कि राजकीय कृषि बीज भंडारों द्वारा बीज, खाद, ठर्वरक इत्यादि की लंबे समय से चली आ रही ऋण बिक्री आगे कुछ समय और तक के लिए जारी की जा रही है, परिपत्रों का बार-बार जारी किया जाना इस बात की ओर इंगित करता था कि उक्त परिपत्रों के बावजूद ऋण बिक्री की प्रक्रिया व्यापक रूप से प्रचलित थी। साक्ष्यों और अभिलेखों के सूक्ष्म जांच से प्रदर्शित होता है कि वरिष्ठ अधिकारियों ने इन परिपत्रों के उल्लंघन में कृषकों को की जा रही ऋण बिक्री के बारे में कोई कठोर निर्णय नहीं लिया। वास्तव में निदेशक कृषि उत्तरप्रदेश द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 2.8.67 भी ऋण बिक्री को प्रतिषेध करने के जोर के अलावा सिर्फ गलती करने वाली कर्मचारियों

को व्यक्तिगत रूप से बकाया राशि के लिए दायी बनाता है। उपरोक्त परिस्थितियों में हम यह महसूस करते हैं कि अपीलकर्ताओं को ऋण बिक्री की स्थापित प्रक्रिया को वीएलडब्ल्यूएस के माध्यम से अनुसरण करने के लिए आपराधिक न्यासभंग को दोषी नहीं माना जा सकता। जबिक उच्च न्यायालय द्वारा अपीलकर्ताओं की धारा 467, 471 भारतीय दण्ड संहिता की दोषसिद्धि को अपास्त कर दिया गया है और निर्णीत किया गया है कि "अभिलेख पर ऐसा कुछ नहीं है कि अपीलकर्ताओं ने कोई कूटरचित दस्तावेज बनाए।

राशि के आंशिक दुर्विनियोग के आरोप को संतोषजनक ढंग से साबित नहीं कर पाया है। वास्तव में विचारण न्यायालय के समक्ष यह तर्क दिया गया कि अपीलकर्ताओं को न्यस्त संपत्ति का उनके द्वारा कोई भी बेईमानीपूर्वक दुर्विनियोग नहीं किया गया किन्तु इस तर्क को विचारण न्यायालय द्वारा अपने निर्णय में बताए गए कारणों से खारिज कर दिया गया किन्तु हमारी विचारित राय में निर्णय में बताए कारण मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों के अनुसार आश्वस्त नहीं है। उच्च न्यायालय द्वारा धारा 405 भारतीय दण्ड संहिता के तहत आपराधिक दुर्विनियोग के तथ्यों के विधिक प्रश्न को विचारित नहीं करते हुए मामले को तथ्यों और कानून की तह में जाए बिना संक्षितः निपटा दिया।

दोनों अपीलकर्ताओं के खिलाफ धारा 409 के तहत आरोप लगाया गया है। हमारे विचार में, वर्तमान में उल्लिखित कारणों से दोनों अपीलकर्ताओं के खिलाफ यह आरोप बरकरार नहीं रखा जा सकता है।

तत्कालीन डीएओ सुल्तानपुर ने अपने आदेश दिनांक 9.5.65 द्वारा इन दोनों अपीलकर्ताओं सिहत कुछ अधिकारियों के स्थानान्तरण आदेश पारित किए, जिसके तहत पहले अपीलकर्ता सिंह को सेमरौना से ब्लाॅक क्रेशार में पूरन सिंह (द्वितीय अपीलकर्ता) के स्थान पर और बाद में पूरन सिंह द्वितीय अपीलकर्ता को क्रेशार से सेमरौना में एनपीएन सिंह के स्थान पर स्थानान्तरित कर दिया गया। इसमें कोई विवाद नहीं है कि प्रथम अपीलार्थी ने 2.9.65 को दूसरे अपीलार्थी को चार्ज सौंप दिया था और तब तक प्रथम अपीलार्थी सेमरौना एवं क्रेभार स्थित दोनों बीज भंडारों का प्रभारी था। प्रथम अपीलकर्ता ने अपनी अनुपालन रिपोर्ट 3.9.65 को प्रस्तुत की जो कि प्रदर्श केए-15 है।

यदि ऐसा है तो दूसरे अपीलकर्ता के सेमरौना ब्लाॅक में शामिल होने से पहले प्रश्नगत बिलों द्वारा कवर की गई राशि के संबंध में 409 यानी बिल संख्या 57, 59 से 62 और 64 जो सभी 29.7.65 से 12.8.65 के बीच तैयार किए गए थे तो दूसरा अपीलकर्ता जिसने 2.9.65 तक सेमरौना के बीज भंडार का कार्यभार नहीं संभाला था, उसे धारा 409 भा.द.सं. के अपराध के तहत के लिए कैसे उत्तरदायी ठहराया जा सकता है। इसलिए विचारण न्यायालय के इस निष्कर्ष को कि दोनों अपीलकर्ताओं ने झूठे बिल तैयार करके न्यासभंग का उल्लंघन किया है, खारिज कर दिया जाता है और इस निष्कर्ष पर किए गए परिणाम भी खारिज किये जाने योग्य है।

आपराधिक अपील संख्या 665 सन् 1979 जो कि सत्र परीक्षण संख्या 228 सन् 1974 से उत्पन्न हुई है में, पहला आरोप है कि 4.7.64 को दोनों अपीलकर्ताओं ने लोक सेवक के रूप में और बीज भंडार, सेमरौना के प्रभारी होने के नाते पुस्तक संख्या 7767 के बिल नंबर 11, 17 और 18 में दिखाए गए माल की कीमत 450.26 रूपये के बाबत् न्यासभंग का उल्लंघन किया। उस मामले में भी भारतीय दण्ड संहिता की धारा 467

(तीन मामले) के तहत आरोप थे। हम धारा 467 के तहत अपराध पर विचार नहीं कर रहे हैं क्योंकि अपीलकर्ता अब इस अपील में भी उन आरोपों से बरी हो गए हैं। अभियोजन पक्ष द्वारा पेश किए गए सूबतों से पता चलता है कि पहले अपीलकर्ता ने काल्पनिक और फर्जी बिल नंबर 11, 17 और 18 दिनांक 4.7.64 को क्रमशः 186.71 रूपये. 132.45 रूपये और 155.46 रूपये क्ल मिलाकर 480.26 रूपये के लिए तैयार किया जो भारतीय दण्ड संहिता की धारा 409 के तहत मामले का विषय है और जब प्रथम अपीलकर्ता के कथित 480.26 रूपये की उक्त राशि के दुर्विनियोग का मामला प्रकाश में आया तो उसने 14.04.66 को 76 रूपये का. 7.8.66 को बिल नं. 11 के 27.60 रूपये और शेष बकाया राशि 376.66 रूपये का भ्गतान किया और उसके बाद कोई भ्गतान नहीं किया गया और उसके पश्चात् 2.12.69 को शेष राशि की वसूली की गई। जब दूसरे अपीलकर्ता ने पहले अपीलकर्ता से 2.9.65 को कार्यभार लेने के बाद 14.4.66 और 7.8.66 को किए गए भुगतान की प्रविष्टियां की। दूसरे अपीलकर्ता ने स्वीकार किया था कि उसने बिल नंबर 11 के लिए भुगतान प्राप्त किया था और उतनी ही राशि सरकारी खजाने में जमा की थी और चूंकि उसने सीआईडी इंस्पेक्टर को उसकी पसंद के अनुसार बयान देकर उपकृत नहीं किया था, इसलिए उसने उसे इस आपराधिक अपराध में शामिल किया। पहले अपीलकर्ता ने अपने बचाव में कहा कि संबंधित ग्राम सेवकों (यानी वीएलडब्ल्यू) ने केवल आंशिक भुगतान किया था और 1.12.69 को उनके

वेतन से 376.58 रूपये की शेष राशि प्राप्त कर चालान नं. 99 के द्वारा 2.12.69 को उक्त राशि भारतीय स्टेट बैंक, फैजाबाद में जमा कर दी गई थी। विचारण न्यायालय ने दूसरे अपीलकर्ता को इस आधार पर दोषी ठहराया कि दूसरे अपीलकर्ता ने यह जानते हुए कि बिल पहले अपीलकर्ता द्वारा जाली बनाए गए थे, भुगतान प्राप्त कर पुस्तक संख्या 7767 के बिल संख्या 11 के लिए रसीदें प्रदर्श केए-4 और केए-5 तैयार कर स्वयं को न्यासभंग के उल्लंघन के लिए किए गए अपराध के लिए उत्तरदायी बनाया। दिए गए कारणों से यह आरोप कानून और तथ्य दोनों ही दृष्टि से कायम नहीं रह सकता। स्वीकृत रूप में आरोप के अनुसार, प्रथम अपीलकर्ता 2.9.65 तक सेमरौना ब्लाॅक का प्रभारी था। अपराध 4.7.64 को किया गया बताया गया है जब दूसरा अपीलकर्ता कूरेभार के ब्लाॅक में काम कर रहा था और इसलिए, दोनों अपीलकर्ताओं पर संयुक्त रूप से आरोप कि वे 4.7.64 को सेमरौना के बीज भंडार के लोकसेवक रहते हुए उनके द्वारा न्यासभंग किया गया। दूसरे, अभियोजन पक्ष ने किसी भी अपीलकर्ता के खिलाफ बेईमानी के मुख्य घटक को संतोषजनक ढंग से स्थापित नहीं किया है, भले ही बुरी से बुरी स्थिति में, यह कहा जा सकता है कि पहला अपीलकर्ता बकाया राशि को वसूल करने के संबंध में कोई उचित कदम ना उठाकर अपने कर्तव्य की उपेक्षा का दोषी था। जब धारा 467 के तहत विचारण न्यायालय द्वारा दर्ज की गई सजा को उच्च न्यायालय द्वारा रद्द कर दिया जाता है, जिसके खिलाफ राज्य द्वारा कोई अपील नहीं की जाती

है तब दूसरे अपीलकर्ता को किसी भी तरह से नकद रसीदें जारी करके हेराफेरी की आपराधिकता से नहीं जोड़ा जा सकता है। संपूर्ण साक्ष्यों और दस्तावेजों की बारीकी से जांच करने पर भारतीय दण्ड संहिता की धारा 409 के तहत दंडनीय आपराधिक विश्वासघात के अपराध में दोनों अपीलकर्ताओं को संयुक्त रूप से दोषी ठहराने लायक कोई सामग्री सामने नहीं आई। इसके अलावा, इस बात का कोई सबूत नहीं है कि अपराध या शिकायत किए गए अपराधों को करने के लिए अपीलकर्ताओं के बीच कोई साजिश, पूर्व सहमित या दिमाग की सहमित या दोनों अपीलकर्ताओं के बीच कोई वीच कोई पूर्व-व्यवस्थित योजना थी।

हालांकि यह न्यायालय असाधारण परिस्थितियों को छोड़कर तथ्यों के समवर्ती निष्कर्ष में सामान्यतः हस्तक्षेप नहीं करता है चूंकि दोनों न्यायालय ने मामले को गवाह के साक्ष्य के गुण-दोष के विपरीत मामले का संक्षेप में निपटारा कर समय से पहले समाप्त करने से इनमें स्पष्ट त्रुटियां और स्पष्ट कमजोरियां दिखाई दे रही है इसलिए हस्तक्षेप करने के लिए उपयुक्त मामला है।

परिणामस्वरूप, दोनों अपीलें स्वीकार की जाती हैं और उच्च न्यायालय द्वारा दी गई दोषसिद्धि और सजा को रद्द कर दिया जाता है और अपीलकर्ताओं को बरी कर दिया जाता है। फैसले को पूर्ण करने से पहले, हम यह देखना चाहेंगे कि सुनवाई के दौरान, अपीलकर्ताओं की ओर से यह प्रस्तुत किया गया था कि बरी होने और परिणामस्वरूप सेवा में फिर से बहाल होने की स्थिति में, अपीलकर्ता अपने पिछले वेतन का दावा नहीं करेंगे। अपीलकर्ताओं ने अब दो अलग-अलग हलफनामे दायर किए हैं, जिसमें कहा गया है कि वे निलंबन की अविध और बाद में सेवा समाप्ति के दौरान बकाया वेतन का दावा नहीं करेंगे।

अपीलकर्ताओं के बकाया वेतन का दावा न करने के वचन के आधार पर और मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर विचार करते हुए, हम यह समझते हैं कि अपीलकर्ताओं को, उनके बरी होने के बाद, राज्य सरकार द्वारा जब तक कि कोई अन्य कोई कारण न हो, सेवा में बहाल किया जाता है, तो यद्यपि साधारणतः वे पिछले वेतन के हकदार है, वे निलंबन की तारीख से बहाली की तारीख तक पिछले वेतन के लिए कोई दावा नहीं करेंगे।

जी.एन. अपील की अनुमति दी गई।

(यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल 'सुवास' की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी प्रियंका पारीक (आर.जे.एस.) द्वारा किया गया है।

अस्वीकरणः यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।)